page: (1 to 3)

DATE: 12/09/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: IIIrd (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 09 (SUPREME COURT: JURISDICTION)

LECTURE NO.-10 (TEN)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

सर्वोच्च न्यायालय
Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालय से सम्बंधित प्रावधान संविधान के भाग-V के अध्याय-4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित किया गया है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, न्याय क्षेत्र, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। यह 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित 'संघीय न्यायालय' (Federal Court) का ही प्रतिरूप है। यह संघीय न्यायालय होने के साथ-साथ अंतिम अपीलीय न्यायालय भी है। भारत में न्यायपालिका के जो तीन स्तर पाए जाते हैं उनमें सर्वोच्च न्यायालय को शीर्ष स्थान प्राप्त है।

सर्वोच्च न्यायालय का गठन

भारतीय मूल संविधान में अनुच्छेद 124(1) के अनुसार, "भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा एवं इसके मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त सात अन्य न्यायाधीश होंगे और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक संख्या यही रहेगी।"

संसद समय-समय पर कानून में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती रही है। 1960 में 14, 1977 में 18, 1985 में 26 एवं 2008 में 31 की गई, जिसमें 30 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश।

Scanned with CamScanner

इस प्रकार वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 31 न्यायाधीश कार्यरत हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के सम्बंध में 1978 से अपनाई गई सर्वमान्य परम्परा के आधार पर अब यह पूरी तरह से निश्चित हो गया है कि राष्ट्रपति द्वारा इस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जायेगा।

मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों के नियुक्ति के सन्दर्भ में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। अनुच्छेद 124(2) में उल्लेखित 'परामर्श' का तात्पर्य सिर्फ 'एक व्यक्ति' के परामर्श से नहीं बल्कि 'अनेक न्यायाधीशों' से परामर्श से है।

मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल (collegium) से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए और इस मंडल में भावी मुख्य न्यायमूर्ति को अनिवार्यतः शामिल होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था को 'कोलेजियम प्रणाली' कहा जाता है। अर्थात् न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 'कोलेजियम प्रणाली' को अपनाया गया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठम न्यायाधीश मिलाकर कुल पाँच सदस्य शामिल होते हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम की आम सहमति होनी चाहिए। यदि कोलेजियम के दो न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाती। कोलेजियम के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

classmate
Date
Page

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु अपनाई गई कोलेजियम व्यवस्था के स्थान पर 99 वें संविधान संशोधन, 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कि यह संविधान के मूल ढाँचे के विरुद्ध है, असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस प्रकार अभी भी न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कोलेजियम प्रणाली को ही अपनाया जाता है।

x ——— x ——— x ——— x ——— x ——— x

सम्भावित प्रश्न :

सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिये इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है?

Scanned with CamScanner